कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग, गोंण्डा।

पत्रांक 669 /33-1, दिनांक, गोंण्डा, अगस्त 19 /2017

सेवा में,

टेरीटोरी मैनेजर रिटेल भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0
देवरिया बाईपास रोड बैतालपुर जिला देवरिया।

विषयः- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस0एच0-30) के किमी0 79-80 के मध्य दायी पटरी पर गाटा संख्या 342 ग्राम बन घुसरा तहसील तरबगंज गोण्डा मे बी0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तावित रिटेलआउटलेट आवागमन हेतु प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। **(आनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/ Others/23859 / 2017)**

सन्दर्भः- उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-पी-88 / 14-2-2017-800(81) / 2017 दिनांक 28.07.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 609 / 33-1 दिनांक 11.08.2017 का संशोधन पत्र।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में उ0प्र0 सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करें जिसके अनुसार शर्त सं0-1 व 2 पर गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करते हुए सन्दर्भित आदेश के प्रत्येक विन्दु का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लिखा गया था जिसका संशोधन करते हुए आपको पुनः अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित आदेश के प्रत्येक विन्दु का आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें।

कमांक	शर्त संख्या व विवरण	धनराशि
1	**एन0पी0वी0धनराशि** शर्त संख्या-7 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या(सिविल)202 / 1995 के अर्न्तगत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी। शासनादेश के अनुसार खुले वन के लिए इकोक्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 8.03 लाख प्रति हे0 हेतु अर्थात (0.075028X8.03000=60247.00) से आगणित	60,247.00
2	**क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि** शर्त संख्या-27 प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। (100 वृक्ष)	1,73,653.00
	योगः-	**2,33,900.00**

(रूपये दो लाख तैतिंस हजार नौ सौ रूपये मात्र)

उपरोक्त धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति के कम में शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में आनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम **(e-payment portal)** ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा कृपया 2,33,900 / - रूपये को उक्त खाते में भुगतान करें एवं पावती की मूल रसीद (जमा की गयी धनराशि की ई-पोर्टल की रसीद) अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध करायें। सैद्वान्तिक स्वीकृति के विन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या...............अ / दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2- मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।
3- वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।